तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र के तथ्य, वाञ्छित अनुतोष, अप्रार्थीगण के जवाब एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया। बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है, कि प्रार्थीगण उनकी भूमि ग्राम पेन्चदर ख०नं० 1083, 1085 व 1087 के अभिलिखित खातेदार हैं। प्रतिवादी/अप्रार्थी० की भूमि पर जाने का रास्ता अलग है। अप्रार्थीगण जबरन उक्त भूमि पर से नया रास्ता बना कर अपने खेत पर जाना चाह रहे हैं। अप्रार्थीगण को रास्ता चाहिये तो वे धारा 251 A. R.T. Act की कार्यवाही करनी चाहिये। परन्तु अप्रार्थीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नया रास्ता बना कर उसमें आने जाने पर उतारू हैं। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई संभव नहीं होगी। यदि जरिये आदेश अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया तो वादीगण का वाद प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा। अतः प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी 1 व 2 का कथन है, कि वादग्रस्त भूमि तथा अप्रार्थी. के खाते की भूमि एक ही पूर्व खातेदार से क्रय की गई भूमि है। अप्रार्थीगण प्रारम्भ से जिस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, उसे प्रार्थीगण ने रोक दिया है। पूर्व खातेदार भी उसी रास्ते 31/10/19	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से आता जाता था। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि पर जाने का रास्ता रोक दिये जाने से अप्रार्थीगण का खेत पर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, जिससे अप्रार्थीगण की भूमि पड़त पड़ी हुई है। रास्ते को रोक देने से अप्रार्थीगण का खेत पड़त रह रहा है, इससे अप्रार्थीगण को अपरिमित क्षति हो रही है। पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलासा करवाया जा चुका है, मगर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत के फैसले के विरुद्ध पुनः रास्ता रोक दिया है। वादीगण द्वारा अप्रार्थी० का प्रचलित रास्ता ग्राम पंचायत के आदेश के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से रोक दिया है, और अप्रार्थीगण से रकम ऐंठना चाहते हैं। प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत के निर्णय की अपील करनी चाहिये। अतः प्रा० पत्र खारीज किया जावे। रिवीजन में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है, कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 188 का वाद पेश किया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीगण को बिना सुने ही निर्णय दिया है, इस कारण ग्रा० पं० का निर्णय प्रार्थीगण के हितों के विरुद्ध बेअसर है। प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे। हमने बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। हस्ब नकल जमाबंदी ग्राम चौचट ख०नं० 1083, 1085 व 1087 के 31/8/14	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के धारा 14 में यथा वर्णित श्रेणी के खातेदार है, तथा उनका उक्त भूमि पर सेटल्ड पजेशन बनता है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नकारते नहीं है। प्रकरण में यह तय है, जैसा कि अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के संबंध में दस्तावेज पेश किये है, कि अप्रार्थीगण, वादग्रस्त भूमि से अपने खेत पर आते जाते रहे है। प्रार्थीगण द्वारा ही अप्रार्थीगण का प्रचलित रास्ता रोका गया है। यदि जरिये आदेश अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। यदि अप्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने के प्रचलित रास्ते के उपयोग करने से रोक दिया जाता है, तो अप्रार्थीगण अपने खाते की भूमि पर आने जाने से महरूम हो सकते थे जैसा कि अप्रार्थीगण का कथन है, कि रास्ते के रोक दिये जाने से उनकी भूमि पड़त पड़ी हुई थी इस प्रकार रास्ते के अभाव में खेत पड़त रहने से अप्रार्थीगण को ही अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की तुलना में कोई क्षति प्रमाणित नहीं थी प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया गया। 31/10/14 (चिमनलाल मीना RAS)	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[…] अहकाम जो […] हुक्म की ता[…] में जारी हु[…]
	प्रार्थीगण का मामला प्रथम दृष्टया प्रबल की सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः प्रकरण में दि० 15.5.19 को जारी अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाकर प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर मूल-वाद मिसल नम्बर 45/2019 के साथ में संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 31/10/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Scanned by CamScanner